

TOPIC :->

(I) Nyaya Theory,

Dr. Sujita Kumari

Subject - Philosophy.

B.A Part - II

Paper - III (H)

A. N. D. College Shahpur
patory, Samastipur

Ans :-> न्याय दर्शन में
अनुसार तीसरा प्रमाण
उपमान ही उपमान
के लक्षण का

स्पष्ट करने हुए न्याय दर्शन में
कहा गया है कि (प्रसिद्ध साध्यमति
साध्युसाध्यनुपमानम् अर्थात् प्रसिद्ध अथवा
स्पष्ट धर्मा के मिलान से जो
साध्य का ज्ञान होता है उसे उपमान
कहते हैं इस प्रकार उपमान के
नाम और नामों के संबंध का ज्ञान
होता है जैसे कोई व्यक्ति किसी

वस्तु के समान धर्मों
के विषय में हमें बताने जिनसे हमें
कभी नहीं देखते तब वह व्यक्ति उसी
वस्तु के समान धर्मों वाली हमारी
देखी हुई वस्तु से उसकी
तुलना करके कहना है कि वह
वस्तु बिल्कुल इस वस्तु के
समान है, अर्थात् - हमें कभी नहीं
देखा

नील गाय को नहीं देखा किन्तु
(गाय) को देखा है) तब कोई
हो सकता कि नील गाय, गाय के
जैसी होती है)

और इस ज्ञान के आधार
के पर हम जब जंगल में कोई
गाय जैसा पशु देखते हैं तब
हम कहते हैं कि वह नील गाय
है।

तब यह ज्ञान हमें
उपमान के द्वारा प्राप्त होगा। इस
प्रकार उपमान में यह आवश्यक
होता है कि हमें ज्ञानत्व वस्तु की
सादृश्यता का किसी परिचित वस्तु
के साथ के व्यर्थों का ज्ञान होना
चाहिए।

जिसके आधार पर ही
आगे चलकर उन सादृश्यों का
प्रत्यक्षीकरण होता है। इस प्रकार
किसी ज्ञानत्व वस्तु की पूर्व ज्ञान
के बाद गुणों से तुलना करना
उपमान कहलाता है।
उपमान दर्शन द्वारा निराकरण

न्याय दर्शन में उपमान के विषय में
लगाये वार उक्त आक्षेप का उत्तर है
इस कथा है कि उपमान के लिए विशेष
व्यंज. का मिलना आवश्यक है

क्योंकि उपमान के लक्षण
में पुसिद्ध साधर्म से साध्या सिद्ध
करने पर बल दिया गया है

अतः इसमें न तो अत्यधिक
व्यंज. को समता कहा है और न एक
व्यंज. को समता कहा है। इसके
अतिरिक्त उपमान को प्रत्यक्ष का
परिवर्तन रूप इसलिए नहीं माना जा
सकता है। क्योंकि प्रत्यक्ष में जो वस्तु
इन्द्रिय के सनिध्य में आती है उसी
का ज्ञान होता है। इसमें किसी
अन्य से तुलना नहीं की जाती। इसी
प्रकार अनुमान में प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष
का ज्ञान किया जाता है।

इसमें इन दोनों के साध्य
न्यायिक की स्थापना आवश्यक होती है
किन्तु उपमान में न तो प्रत्यक्ष के द्वारा
अप्रत्यक्ष का ही ज्ञान होता है। एत-द.

EM-1